

## घोषणा पत्र

(व्यवसायिक/तकनीकी कोर्स में दाखिले हेतु कोचिंग कक्षाओं के लिए वित्तीय सहायता)

मैं \_\_\_\_\_ सुपुत्र /पत्नी श्री \_\_\_\_\_  
निवासी \_\_\_\_\_ बोर्ड पंजीकरण संख्या \_\_\_\_\_  
निम्नलिखित घोषणा करता/करती हूँ:-

1. मेरा सुपुत्र/सपुत्री \_\_\_\_\_ संस्थान \_\_\_\_\_  
में व्यवसायिक/तकनीकी कोर्स में दाखिले हेतु कोचिंग प्राप्त कर रहा/रही है।
2. मैंने अपने सुपुत्र/सपुत्री की कोचिंग के लिए दोबारा वित्तीय सहायता हेतु आवेदन नहीं किया है।
3. मेरे पति/पत्नी श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ पुत्र/पत्नी श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_  
द्वारा भी किसी सरकारी विभाग/बोर्ड/निगम संस्था से कोचिंग सुविधा के लिए कोई भी वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की है और न ही इसके लिए कोई आवेदन किया है।
6. मैं आज भी भवन निर्माण कार्यों से जुड़ा हुआ/हुई हूँ तथा बोर्ड का सक्रिय सदस्य हूँ तथा वेबसाइट पर मेरे द्वारा अपलोड की गई सूचना/दस्तावेज सही व अपडेटेड हैं।

कोचिंग संस्थान के बैंक का विवरण:- बैंक का नाम \_\_\_\_\_ खाता संख्या \_\_\_\_\_  
IFSC Code \_\_\_\_\_

उपरोक्त सभी तथ्य मेरे समुचित ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही व सत्य हैं। इनमें से न तो कोई तथ्य गलत है और न ही कोई तथ्य छुपाया गया है। यदि उपरोक्त तथ्य किसी भी समय गलत पाये जाते हैं तो हरियाणा भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड मेरे खिलाफ दण्डात्मक कानूनी कार्यवाही करने का हकदार होगा तथा मेरे द्वारा प्राप्त की गई दाखिले के लिए वित्तीय सहायता की राशि को मैं लौटाने को बाध्य रहूँगा/रहूँगी तथा मुझे अन्य कल्याणकारी सुविधाओं के लाभ से वंचित करने तथा मेरा पंजीकरण निरस्त करने का भी बोर्ड को अधिकार होगा।

स्थान:

आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान

तिथि:

मो0 नं0: \_\_\_\_\_